

(2) यह 22 जून, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु को लागू होगा और निर्यात के लिए ऐसे माल या वस्तु को लागू नहीं होगा।

2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होगा और इस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची 2 की स्कीम 1 के अनुसार ब्यूरो से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह लागू होगा।

3. प्रमाणकर्ता और प्रवर्तन प्राधिकारी—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो, प्रमाणकर्ता और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति—ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस आदेश के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

5. भारतीय मानकों के संशोधन के प्रभावी होने की तारीख—यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तारीख से उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए किसी संशोधन को लागू होगा।

सारणी

माल या वस्तु (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक के लिए नाम (3)
टोल्यूइन	आईएस 537 : 2011	टोल्यूइन के लिए विनिर्देश

[फा. सं. 46016/6/2020- टेक.सीपीसी-भाग.2]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2021

S.O. 5436(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Toluene (Quality Control) Order, 2020, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This Order may be called the Toluene (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the 22nd day of June, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.- Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority.**- In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention.** - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

5. **Date of effect of amendment in Indian Standards.** – This Order shall apply to any amendment made by the Bureau of Indian Standards to the Indian Standard specified in column (2) of the said Table with effect from the date notified by the Bureau of Indian Standards in this behalf.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Toluene	IS 537:2011	Specification for Toluene

[F. No. 46016/6/2020-Tech.CPC-Pt.2]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5437(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और टेरेफथेलिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 को अधिक्रान्त करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टेरेफथेलिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 है।

(2) यह 22 जून, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु को लागू होगा और निर्यात के लिए ऐसे माल या वस्तु को लागू नहीं होगा।

2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग**—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होगा और इस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची 2 की स्कीम 1 के अनुसार ब्यूरो से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह लागू होगा।

3. **प्रमाणकर्ता और प्रवर्तन प्राधिकारी**—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो, प्रमाणकर्ता और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**—ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस आदेश के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

5. **भारतीय मानकों के संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**—यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तारीख से उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए किसी संशोधन को लागू होगा।